



2026:AHC:32503

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या-642/2026

हनुमान प्रसाद और अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: मनोज कुमार तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, हरि नारायण सिंह

न्यायालय संख्या-55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय,

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार तिवारी तथा श्री वैभव त्रिपाठी, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बबबन सिंह तथा प्रतिवादी-गांव सभा के विद्वान अधिवक्ता श्री हरिनारायण सिंह को सुना गया।

2. यह रिट याचिका निम्नलिखित अनुतोष के लिए दायर की गई है:-

“प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा द्वितीय अपील संख्या 323/2025 (कम्प्यूटरीकृत मामला संख्या- एएल 2025034000323) (अमर सिंह बनाम महेश कुमार और अन्य) ने दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश को निरस्त करने के लिए उपयुक्त उत्प्रेषण रिट आदेश या निर्देश के रूप में जारी किया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर द्वितीय अपील को स्वीकार कर लिया गया है तथा मनमाने ढंग से अंतरिम आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 में दायर बटवारे के मुकदमें में, अंतिम डिक्री दिनांक 28.11.2011 को उचित तरीके से पारित की गयी थी। उन्होंने बताया कि कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए निजी प्रतिवादी द्वारा बहाली की कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी। जिसे नितले न्यायालय ने दिनांक 28.07.2015 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया था। उन्होंने बताया कि आयुक्त के समक्ष दायर अपील भी 07.11.2024 को निरस्त कर दी गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर दूसरी अपील को विधि के

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर स्वीकार कर लिया गया है, जो पहली अपील में सम्मिलित नहीं हैं। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि दूसरी अपील में अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने वाले विवादित आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

4. चूंकि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा दायर दूसरी अपील स्वीकार कर ली गई है और पक्षों को यथास्थिति बनाये रखने का निर्देश दिया गया है, इसलिए राजस्व बोर्ड को निचले न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय के अभिलेखों को तलब करने के पश्चात दूसरी अपील पर निर्णय लेने का निर्देश देना उचित होगा। याचिकाकर्ता दूसरी अपील में विपक्षी पक्षकार हैं तथा वे दूसरी अपील में पहले ही उपस्थित हो चुके हैं।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/राजस्व बोर्ड, प्रयागराज लंबित द्वितीय अपील का यथाशीघ्र, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से 4 माह की अवधि के भीतर संबंधित पक्षकारों को उचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात विधि के अनुसार निर्णय करें।

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

13 फरवरी, 2026

सी प्रकाश

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”